[illegible] अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

42 सन् 2015 किस्म मुकदमा प्रा. पत्र

[illegible] बनाम [illegible]

आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान-2017 कैम्प [illegible] अटल सेवा केन्द्र उमरवास [illegible] में आज पेश हुई। प्रार्थी व विपक्षी से 1-2 उपस्थित हो पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित प्रकरण विचाराधीन है जिसका मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	[illegible] 22/3 [illegible]
अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में विरुद्ध विपक्षी गण के मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम [illegible] के आ. नं. 12/2 रकबा 10-00-00 व ग्राम [illegible] की आ. नं. 1030/904 1074/904 भूमि की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। पत्रावली फैसला शुमार दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की एक प्रति न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो।	
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द	